संख्या-38/2017/1598/41-17-01 बजट/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2017**

विषय- अनुदान सं0 44 में प्राप्त बजट संकलन के अनुसार राजस्व मद के लिए विभिन्न लेखाशीर्षकों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 07 माहों (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिए अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 2363/3-लेखा/बजट आवंटन/2017-18 टीसी दिनांक 11 अगस्त, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष पर्यटन विभाग के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत वचनबद्ध व्ययों को वहन किये जाने हेतु शासनादेश सं0 29/2017/378(1)/41-2017 दिनांक 20 अप्रैल, 2017 द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के शेष 07 माहों (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के वचनबद्ध व्ययों को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के सम्पूर्ण आय-व्ययक मे किये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मद में स्तम्भ-2 में व्यवस्थित धनराशि से स्तम्भ-3 में उल्लिखित लेखानुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि स्तम्भ-4 में अंकित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(धनराशि रू0 लाख में)

लेखाशीर्ष/मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक**	**लेखानुदान के रूप में प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए निवर्तन पर रखी गयी धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 07 माहों (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिए निवर्तन पर रखी जा रही अवशेष धनराशि**
-1-	**-2-**	**-3-**	**-4-**
राजस्व लेखा **3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय**			
01-वेतन	450.00	283.23	166.77
02-मजदूरी	5.00	2.08	2.92
03-महंगाई भत्ता	27.00	14.16	12.84
04-यात्रा व्यय	5.00	2.08	2.92
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	0.83	1.17
06-अन्य भत्ते	31.74	13.23	18.51
07-मानदेय	0.50	0.21	0.29
08-कार्यालय व्यय	3.00	1.25	1.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

09-विद्युत देय	60.00	25.00	35.00
10-जलकर/जल प्रभार	4.00	1.67	2.33
11-लेखन सामग्री और फर्मो की छपाई	3.00	1.04	1.96
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	0.21	0.79
13-टेलीफोन पर व्यय	1.25	0.48	0.77
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	8.00	---	---
15-गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.00	1.67	4.33
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7.00	2.08	4.92
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	20.00	8.33	11.67
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	0.42	1.58
29-अनुरक्षण	10.00	4.17	5.83
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00	1.25	1.75
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.25	0.94	1.31
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	2.08	2.92
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.25	1.25	2.00
49-चिकित्सा व्यय	7.80	5.42	2.38
51-वर्दी व्यय	1.00	0.42	0.58
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	41.00	---	41.00
योग 03/001	**709.79**	**373.50**	**328.29**
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय			
01-वेतन	900.00	564.17	335.83
02-मजदूरी	2.00	2.50	(-) 0.50
03-महंगाई भत्ता	54.00	28.21	25.79
04-यात्रा व्यय	6.50	2.50	4.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	1.25	1.75
06-अन्य भत्ते	65.22	26.34	38.88
07-मानदेय	0.50	0.21	0.29
08-कार्यालय व्यय	6.50	2.50	4.00
09-विद्युत देय	10.00	4.17	5.83
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	0.42	0.58
11-लेखनसामग्री और फर्मो की छपाई	4.00	1.67	2.33
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.50	0.83	1.67
13-टेलीफोन पर व्यय	4.25	1.67	2.58
15-गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.50	2.50	4.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00	0.42	1.58
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	30.00	11.46	18.54
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	0.82	1.18
29-अनुरक्षण	2.60	0.83	1.77
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.25	0.94	1.31
45-अवकाश यात्रा व्यय	3.00	1.25	1.75
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.50	1.04	1.46
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.50	1.67	2.83
49-चिकित्सा व्यय	7.20	4.58	2.62
51-वर्दी व्यय	1.00	0.42	0.58

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	81.66	---	81.66
योग 03	**1204.68**	**662.37**	**542.31**
लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-अलीगढ फूड क्रफ्ट इन्सटीट्यूट की स्थापना			
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	143.46	59.78	83.68
53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	7.91	3.30	4.61
योग 04	**151.37**	**63.08**	**88.29**
लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन			
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	250.00	62.50	187.50
42-अन्य व्यय	10.00	2.08	7.92
योग 08	**260.00**	**64.58**	**195.42**
योग-104	**1616.05**	**790.03**	**826.02**
लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03 पर्यटन सूचना और प्रचार			
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00	20.83	79.17
18-प्रकाशन	50.00	12.50	37.50
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	200.00	83.33	116.67
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	70.00	---	70.00
22- अथिति व्यय/व्यय विषयक भत्त आदि	5.00	0.83	4.17
42- अन्य व्यय	100.00	25.00	75.00
योग 03	**525.00**	**142.49**	**382.51**
लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-डिस्कवर योर रूट्स योजना			
42-अन्य व्यय	7.00	0.00	7.00
योग-800	**532.00**	**142.49**	**389.51**
योग-80	**2857.84**	**1306.02**	**1543.82**
योग-3452	**2857.84**	**1306.02**	**1543.82**

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 (i) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के 50 प्रतिशत का भुगतान माह अक्टूबर 2017 से पूर्व नहीं किया जाना है। अत: पुनरीक्षित वेतन के अवशेष मद की धनराशि वित्त् विभाग के निर्देशानुसार ही व्यय की जानी सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय अवचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासम्भव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से की जाय।

(6) वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय के अन्तर्गत 02-मजदूरी मद में रू0 6.00 लाख धनराशि की बजट व्यवस्था की गयी थी। तदनुसार लेखानुदान के सापेक्ष 5/12 भाग अर्थात प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए 02-मजदूरी मद में रू0 2.50 लाख धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पारित सम्पूर्ण बजट में 02-मजदूरी मद में मात्र रू0 2.00 लाख धनराशि की बजट व्यवस्था है। अत: 02-मजदूरी मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 2.00 लाख की सीमा तक ही व्यय किया जाय। प्रश्नगत मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 20 अप्रैल, 2017 में 02-मजदूरी मद में रू0 2.50 लाख धनराशि से बढ़ी हुई धनराशि रू0 50,000.00 को शासन को समर्पित की जाय अथवा उक्त मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता का औचित्य देते हुए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक मांग के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-44 में व्यवस्थित आय-व्ययक के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर-2 की तालिका में उल्लिखित संगत लेखाशीर्ष/मद के नामे डाला जायेगा।

4- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-38/2017/1598/41-17 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in